

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)


कमांक / 134 / नपानि / लोनिवि / 2014

जगदलपुर, दिनांक 21/12/15

आदेश

एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार यादव, मानचित्रकार, नगरपालिक निगम जगदलपुर को निगम स्वामित्व के अवन्तिका कालोनी में स्थित आवासीय भवन को आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित शर्तों के तहत आबंटित किया जाता है ।

1. मकान किराया की राशि शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिमाह वेतन से कटौति की जावेगी ।
2. आवास भवन में किसी प्रकार का निर्माण एवं तोड़-फोड़ नहीं किया जावे ।
3. आवास भवन का विद्युत प्रभार एवं जल प्रभार आबंटिती को करना अनिवार्य होगा ।
4. निगम हित में आवश्यकता होने पर कभी भी आबंटन को निरस्त किया जावेगा, इस पर किसी प्रकार का आपत्ति मान्य नहीं होगा ।



आयुक्त

नगरपालिक निगम,
जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 21/12/15

पृ. कमांक / 135 / नपानि / लोनिवि / 2015
प्रतिलिपि:-

1. मान0 महापौर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. मान0 अध्यक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. मान0 प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग समिति, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. नेता प्रतिपक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. कार्यपालन अभियंता, नगरपालिक निगम, जगदलपुर को सूचनार्थ ।
6. प्र. लेखा अधिकारी / लेखापाल, नगरपालिक निगम, जगदलपुर,
7. स्थापना लिपिक, नगरपालिक निगम, जगदलपुर,
को सूचनार्थ अग्रहित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित के वेतन से प्रतिमाह शासन द्वारा निर्धारित दर से मकान किराया कटौति की जावे ।
8. श्री अरुण कुमार यादव, मानचित्रकार, नगरपालिक निगम, जगदलपुर को सूचनार्थ । यथाशीघ्र मकान में स्थानांतरित होकर अवगत करावें ।



आयुक्त

नगरपालिक निगम,
जगदलपुर